कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः—2038/11—सी—FP/UP/Trans/140402/2021, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 06 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः— जनपद—सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग के अंतर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0बी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक—2942/मी0क्षे0/33, दिनांक 31.12.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः—

1. प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का नहीं है।
2. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षरण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव में संलग्न किया गया क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का नहीं है। अतः पठनीय व पूर्ण साइज का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें।
4. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।
5. ऑनलाइन भाग—2 के क्रमांक—13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि गलत फीड है। अतः सही धनराशि ऑनलाइन भाग—2 के क्रमांक—13(i) में फीड करें।
6. तीनों प्रस्तावों के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग—अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे पेन ड्राइव से डिलिट कर संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 2038 /11—सी—FP/UP/Trans/140402/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट—सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-22